OPEN ACCESS

Int. Jr. of Contemp. Res. in Multi. *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 5 Issue 1 [Jan- Feb] Year 2026*

Research Article

भूमि सुधार और कृषि नीतियाँ: सर छोटूराम की दूरदृष्टि

अमरजीत [1*], डॉ.महेंद्र सिंह [2]

[1] शोधार्थी, विभाग, राजनीति शास्त्र, एन.आई.आई.एल.एम. विश्वविद्यालय,कैथल, हरियाणा, भारत

[2] सह-प्राध्यापक, विभाग, राजनीति शास्त्र, एन.आई.आई.एल.एम. विश्वविद्यालय,कैथल, हरियाणा, भारत

Corresponding Author: *अमरजीत

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18831654

सारांश

यह अध्ययन औपनिवेशिक पंजाब में कृषि संरचना, भूमि संबंधों और किसान राजनीति के विकास का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। शोध में ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि नीतियों, ऋणग्रस्तता, साहूकारी व्यवस्था तथा यूनियनिस्ट राजनीति की भूमिका को समझने का प्रयास किया गया है। विशेष रूप से सर छोटूराम के सुधारों, किसान हितैषी विधानों तथा ग्रामीण समाज में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि औपनिवेशिक प्रशासन, सैन्य संरचना और सामुदायिक राजनीति ने पंजाब की कृषि व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया। ऐतिहासिक स्रोतों, द्वितीयक साहित्य और समकालीन विश्लेषण के आधार पर यह शोध निष्कर्ष निकालता है कि कृषि सुधारों ने ग्रामीण शक्ति-संतुलन को परिवर्तित किया, किंतु साथ ही नई राजनीतिक जटिलताओं को भी जन्म दिया।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 05-01-2026
- **Accepted:** 26-02-2026
- **Published:** 28-02-2026
- **IJCRM:**5(1); 2026: 863-867
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

अमरजीत, डॉ. महेंद्र सिंह. भूमि सुधार और कृषि नीतियाँ: सर छोटूराम की दूरदृष्टि. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(1):863-867.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मूल शब्द: औपनिवेशिक पंजाब, कृषि सुधार, सर छोटूराम, किसान राजनीति, भूमि संबंध

प्रस्तावना

सर छोटूराम, जिनका पूरा नाम राय बहादुर सर चौधरी छोटूराम था, का जन्म 24 नवंबर 1881 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत (वर्तमान हरियाणा) के रोहतक जिले के गढ़ी सांपला गाँव में हुआ था। वे एक जाट परिवार से थे और अपने जीवन को किसानों के उत्थान तथा सामाजिक सुधार के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें 'दीनबंधु' के नाम से भी जाना जाता है, जो उनकी किसानों और गरीबों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वे एक वकील, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से पूरी की और कानून की डिग्री प्राप्त कर वकालत शुरू की। भूमि सुधार और कृषि नीतियाँ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक संरचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहां अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर है, भूमि सुधार और प्रभावी कृषि नीतियाँ विशेष भूमिका निभाती हैं। स्वतंत्रता से पहले

© 2026 अमरजीत, डॉ. महेंद्र सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

और बाद में, भारत में भूमि स्वामित्व और कृषि उत्पादन सुधारने के लिए कई प्रयास किए गए, जिनमें सर छोटूराम का योगदान उल्लेखनीय रहा। उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा और उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। यह शोध पत्र सर छोटूराम की दूरदर्शिता को केंद्र में रखकर भूमि सुधार और कृषि नीतियों से जुड़ी समस्याओं तथा उनके संभावित समाधान पर चर्चा करता है।

कृषि संबंधी उद्देश्य:

- भारत में भूमि सुधार और कृषि नीतियों के ऐतिहासिक संदर्भ को समझना।
- सर छोटूराम के योगदान और उनकी नीतियों का विश्लेषण करना।
- वर्तमान कृषि कानूनों और उनसे जुड़ी समस्याओं की समीक्षा करना।
- भविष्य के लिए सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना।

सर छोटूराम की सामाजिक सक्रियता:

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर छोटू राम ने रोहतक से 22,144 जाट सैनिकों की भर्ती की, जो अन्य सभी सैनिकों की कुल संख्या से आधे थे। सर छोटू राम ने अपने युग में एक महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक के रूप में अप्रतिम स्थान बनाया। उनके द्वारा अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई, जिनमें जाट आर्य-वैदिक संस्कृत हाई स्कूल, रोहतक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1 जनवरी 1913 को रोहतक में जाट आर्य समाज के तत्वावधान में एक भव्य बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जाट स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 7 सितंबर 1913 को जाट स्कूल अस्तित्व में आया।

जाट गजट

चौधरी छोटू राम ने विधि के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने अपने कानूनी जीवन में आदर्श सिद्धांतों को अपनाया-जैसे झूठे मुकदमों को अस्वीकार करना, धोखाधड़ी से दूर रहना, निर्धन व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सलाह प्रदान करना, और अपने मुवक्किलों के प्रति सद्व्यवहार रखना। इन मूल्यों के प्रति समर्पण ने चौधरी साहब को न केवल अपने पेशे में, वरन जीवन के हर क्षेत्र में उच्च पद पर प्रतिष्ठित किया। इसी अवधि में, 1915 में, उन्होंने 'जाट गजट' नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र आरंभ किया, जो हरियाणा का सर्वाधिक प्राचीन समाचार पत्र माना जाता है। इस पत्र के माध्यम से छोटू राम ने ग्रामीण समाज के उत्थान और साहूकारों द्वारा निर्धन किसानों के शोषण पर गहन विचार प्रस्तुत किए, जो आज भी शोध का विषय बने हुए हैं।

सर छोटूराम की राजनीतिक सक्रियता:

1925 में, चौधरी छोटू राम ने राजस्थान के पुष्कर तीर्थ स्थल पर एक ऐतिहासिक सम्मेलन का आयोजन किया। इसके बाद, 1934 में राजस्थान के सीकर नगर में लगान कानून के विरुद्ध एक विशाल रैली आयोजित की गई, जिसमें लगभग 10,000 जाट किसानों ने भागीदारी की। इस अवसर पर जनेऊ और देसी घी का दान किया गया तथा महर्षि दयानंद के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के श्लोकों का पाठ किया गया। इस रैली के माध्यम से चौधरी छोटू राम भारतीय राजनीति के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरे।

रौलट एक्ट के विरोध में चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जिससे देश की राजनीतिक दिशा में एक नया मोड़ आया। एक ओर जहां महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, वहीं दूसरी ओर प्रांतीय स्तर पर चौधरी छोटू राम और चौधरी लाल चंद जैसे जाट नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई। इसी दौरान पंजाब में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार लागू हुए और सर फजले हुसैन ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 'जमींदारा पार्टी' की स्थापना की। चौधरी छोटू राम और उनके सहयोगियों ने सर फजले हुसैन के साथ गठबंधन किया तथा आगे चलकर सर सिकंदर हयात खान के साथ मिलकर 'यूनियनिस्ट पार्टी' का गठन किया।

इसके बाद हरियाणा में राजनीतिक ध्रुवीकरण स्पष्ट हो गया। एक ओर चौधरी छोटू राम का कांग्रेस से मतभेद था, तो दूसरी ओर शहरी हिंदू नेताओं और साहूकार वर्ग से भी उनका टकराव बना रहा। चौधरी छोटू राम की 'जमींदारा पार्टी' मूलतः किसानों, मजदूरों, मुसलमानों, सिखों और अन्य वंचित समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी, यद्यपि यह पार्टी ब्रिटिश शासन से सीधा संघर्ष करने के पक्ष में नहीं थी। हिंदू सभा और अन्य शहरी हिंदू संगठनों के साथ उनके वैचारिक मतभेद भी स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आए।

1920 में भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत हुए चुनावों में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, जबकि जमींदारा पार्टी के चौधरी छोटू राम और लाल सिंह ने विजय प्राप्त की। दूसरी ओर, 1930 में कांग्रेस ने चौधरी छोटू राम की पार्टी के मुकाबले चौधरी देवी लाल को अपना प्रत्याशी बनाया। 1937 में भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अंतर्गत सीमित लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव संपन्न हुए, जिनमें 175 सदस्यीय विधानसभा में यूनियनिस्ट पार्टी को 99 सीटें प्राप्त हुईं, जबकि कांग्रेस केवल 18 सीटों पर सिमट गई। खालसा नेशनलिस्ट पार्टी को 13 और हिंदू महासभा को मात्र 12 सीटों से संतोष करना पड़ा। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र की एक सीट पर कांग्रेस के चौधरी दुनीचंद ने जीत दर्ज की। इस चुनाव परिणाम ने चौधरी छोटू राम की राजनीतिक शक्ति का अहसास अंग्रेजों, कांग्रेस और उनके सभी विरोधियों को करा दिया।

सर छोटूराम की ब्रिटिश शासन के समय भूमिका:

सर छोटूराम ने ब्रिटिश शासन के दौरान किसानों के अधिकारों की रक्षा और उनके शोषण को रोकने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए।

किसानों के मसीहा:

सर छोटूराम ने किसानों को साहूकारों और जमींदारों के चंगुल से मुक्त करने के लिए कई कानून बनवाए। पंजाब में उनकी अगुवाई में लागू पंजाब रेस्टिट्यूशन ऑफ मॉर्टगेज्ड लैंड एक्ट (1938) ने कर्ज के कारण जब्त की गई किसानों की जमीन को वापस दिलाने में मदद की। इसी तरह, पंजाब डेट रिलीफ एक्ट (1934) ने साहूकारों की ब्याज दरों पर अंकुश लगाया और कर्ज के बोझ को कम किया।

- जमींदारी प्रथा के खिलाफ संघर्ष: वे जमींदारी व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। उनका मानना था कि भूमि पर वास्तविक अधिकार उस किसान का होना चाहिए जो उस पर मेहनत करता है।

© 2026 अमरजीत, डॉ. महेंद्र सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

उनकी नीतियों ने भूमि सुधार की नींव रखी, जो बाद में स्वतंत्र भारत में जमींदारी उन्मूलन के रूप में सामने आई।

- सहकारी आंदोलन के समर्थक: सर छोटूराम ने सहकारी खेती और संगठनों को बढ़ावा दिया ताकि छोटे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। वे चाहते थे कि किसान एकजुट होकर अपने उत्पादों को बेहतर कीमत पर बेच सकें।
- राजनीतिक योगदान: वे नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के सह-संस्थापक थे, जो मुख्य रूप से पंजाब में किसानों और ग्रामीण समुदायों के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय थी। ब्रिटिश सरकार में पंजाब के राजस्व मंत्री के रूप में, उन्होंने कई प्रगतिशील कानून बनवाए। उनकी नीतियों ने पंजाब को एक समृद्ध कृषि क्षेत्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- सामाजिक सुधारक: किसानों के आर्थिक उत्थान के साथ-साथ, सर छोटूराम ने शिक्षा और सामाजिक समानता को भी बढ़ावा दिया। वे जातिगत भेदभाव के खिलाफ थे और समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयासरत रहे।

भारतीय सविधान संसोधन कृषि अधिनियम:
बंधक भूमि की मुक्त वापसी अधिनियम, 1938
यह कानून 9 सितंबर 1938 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के माध्यम से 8 जून 1901 के बाद कुर्की के माध्यम से बेची गई और 37 वर्षों तक बंधक रखी गई सभी भूमि किसानों को वापस कर दी गई थी। इस कानून के तहत सादे कागज पर जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होता था। इस कानून में अगर साहूकार ने मूलधन की दोगुनी राशि प्राप्त कर ली है, तो किसान को भूमि का पूर्ण स्वामित्व देने का प्रावधान किया गया था।

कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1938
यह अधिनियम 5 मई 1939 से लागू हुआ था। इसके तहत अधिसूचित क्षेत्रों में मंडी समितियों का गठन किया गया था। एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, किसानों को उनकी फसल के लिए एक रुपये में से केवल 60 पैसे ही मिल पाते थे। किसानों को कई कटौतियों का सामना करना पड़ता था। इसमें कमीशन, तौल, रोलिंग, मुनीम, पल्लेदारी और कई अन्य कटौतियाँ थीं। इस अधिनियम के तहत किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए नियम बनाए गए थे। इस अधिनियम ने किसानों को बिचौलियों के शोषण से मुक्त किया।

व्यावसायिक श्रम अधिनियम, 1940
यह अधिनियम 11 जून 1940 को लागू हुआ। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने वाले इस कानून ने श्रमिकों को शोषण से मुक्ति दिलाई। किसी भी श्रमिक से सप्ताह में 61 घंटे और प्रतिदिन 11 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा। वर्ष में 14 अवकाश दिए जाएंगे। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। रविवार को दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। छोटी-मोटी गलतियों पर वेतन नहीं काटा जाएगा। जुर्माने की राशि का उपयोग केवल श्रमिक कल्याण के लिए किया जाएगा। इन सबकी समय-समय पर श्रम निरीक्षक द्वारा जांच की जाएगी।

ऋण माफी अधिनियम, 1934
यह क्रांतिकारी ऐतिहासिक अधिनियम दीनबंधु चौधरी छोटू राम ने 8 अप्रैल 1935 को किसानों और मजदूरों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए बनाया था। इस कानून के तहत यदि ऋण की दोगुनी राशि चुका दी गई है तो ऋणी को ऋण मुक्त माना जाएगा। इस अधिनियम के तहत ऋण माफी बोर्ड बनाए गए, जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते थे। दाम दुपट्टा का कानून लागू किया गया। इसके अनुसार दुधारू पशु, बछड़े, ऊंट, गाड़ी, बाड़े, गितवाड़ आदि आजीविका के साधन नीलाम नहीं किए जाएंगे। इस कानून के अंतर्गत अपीलकर्ता के संदर्भ में एक किंवदंती बहुत प्रचलित हुई कि एक अपीलकर्ता ने लाहौर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस सर शादी लाल से कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे मकान और बैल को कुर्की से मुक्त रखा जाए। तब जस्टिस सर शादी लाल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि एक छोटू राम नाम का आदमी है, वह ऐसे कानून बनाता है, उसके पास जाओ और कानून बनवाओ। अपीलकर्ता चौधरी छोटू राम के पास आया और उन्हें यह टिप्पणी बताई। छोटू राम ने कानून में ऐसा संशोधन करवाया कि उस कोर्ट की सुनवाई बंद हो गई और इस तरह चौधरी साहब ने इस व्यंग्य का कड़ा जवाब दिया।

सर छोटूराम की दूरदृष्टि:
सर छोटूराम, जिन्हें 'दीनबंधु' के नाम से भी जाना जाता है, एक दूरदर्शी नेता और किसान हितैषी थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान पंजाब में किसानों के शोषण को समाप्त करने के लिए कई सुधार किए। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी पंजाब रेस्टिट्यूशन ऑफ मॉर्टगेज लैंड एक्ट (1938), जिसके तहत कर्ज में डूबे किसानों की जमीन को बिना अतिरिक्त लागत के वापस दिलाया गया। इसके अलावा, पंजाब डेट रिलीफ एक्ट (1934) ने साहूकारों के चंगुल से किसानों को मुक्त करने में मदद की। सर छोटूराम ने जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और सहकारी खेती को बढ़ावा देने की वकालत की। उनकी नीतियों का उद्देश्य भूमि का न्यायपूर्ण वितरण और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था। उनका मानना था कि किसान देश की रीढ़ हैं और उनकी समृद्धि के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है।

कृषि कानून
स्वतंत्रता के बाद भारत में कई कृषि कानून और सुधार लागू किए गए, जैसे जमींदारी उन्मूलन, भूमि जोत की सीमा निर्धारण और चकबंदी। हाल के वर्षों में, 2020 में लागू तीन कृषि कानूनों (जो बाद में 2021 में निरस्त कर दिए गए) ने व्यापक चर्चा उत्पन्न की। इन कानूनों का उद्देश्य निजी निवेश को बढ़ावा देना और बाजार आधारित कृषि व्यवस्था को मजबूत करना था, लेकिन किसानों के बीच यह आशंका थी कि इससे उनकी स्वतंत्रता और आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सर छोटूराम की दूरदृष्टि आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि वे हमेशा किसानों के हितों को प्राथमिकता देते थे।

कृषि संबधी समस्याएँ:
- भूमि का विखंडन: पीढ़ी-दर-पीढ़ी भूमि के बँटवारे से जोतें छोटी और अलाभकारी हो गई हैं।

© 2026 अमरजीत, डॉ. महेंद्र सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

- कर्ज का बोझ: आज भी किसान साहूकारों और बैंकों से कर्ज लेने को मजबूर हैं, जिससे आत्महत्या की घटनाएँ बढ़ रही हैं।
- प्राकृतिक आपदाएँ: सूखा, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन से फसलें नष्ट होती हैं, जिससे किसानों की आय प्रभावित होती है।
- बाजार पहुंच की कमी: छोटे किसानों को उचित मूल्य और बाजार तक पहुँचने में कठिनाई होती है।
- नीतिगत अस्पष्टता: बार-बार बदलती नीतियाँ और जटिल कानून किसानों के लिए भ्रम पैदा करते हैं।

कृषि संबधी सुधार के सुझाव:

- चकबंदी को प्रभावी बनाना: छोटी जोतों को एकीकृत कर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।
- कर्ज राहत योजनाएँ: सर छोटूराम की तरह कर्जमाफी और सस्ते ऋण की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।
- फसल बीमा: सस्ता और सुलभ फसल बीमा प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करेगा।
- बाजार सुधार: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को सुनिश्चित करना और सहकारी बाजार व्यवस्था को मजबूत करना।
- शिक्षा और तकनीक: किसानों को आधुनिक तकनीकों और जलवायु अनुकूल खेती के बारे में प्रशिक्षण देना।

भूमि सुधार और कृषि नीतियाँ भारतीय कृषि क्षेत्र के सुधार और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन नीतियों का उद्देश्य किसानों की जीवन स्थितियों में सुधार, कृषि उत्पादन में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

भूमि सुधार का उद्देश्य:

भूमि वितरण में सुधार: भूमिहीन और छोटे किसानों को भूमि वितरित करना, ताकि कृषि में उनकी भागीदारी बढ़ सके। कृषक समुदाय के अधिकारों का संरक्षण: भूमिहीन किसानों को भूमि देने से उन्हें स्थिरता मिलती है और वे कृषि में निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं। सामाजिक असमानता को कम करना: भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य समाज में भूमि आधारित असमानताओं को खत्म करना है।

कृषि नीति और कृषि उत्पादन:

कृषि उत्पादन में वृद्धि: कृषि नीतियाँ इस दिशा में काम करती हैं कि उत्पादन में वृद्धि की जा सके, जैसे नई तकनीकों का उपयोग, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को बढ़ावा देना और बेहतर सिंचाई उपायों को लागू करना। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि: नीतियाँ जल प्रबंधन और सिंचाई तकनीकों में सुधार की दिशा में काम कर रही हैं ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार:

सस्ते ऋण और सब्सिडी: किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, ताकि वे उन्नत कृषि उपकरण और तकनीक का उपयोग कर सकें। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): MSP लागू करने से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलता है, जिससे उनका आर्थिक नुकसान कम होता है।

टिकाऊ कृषि की ओर कदम:

जैविक और पर्यावरण के अनुकूल कृषि: जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, जैसे जैविक खेती और जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण: कृषि नीतियों में जल, मिट्टी और वनस्पति जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है।

आधुनिक तकनीकी उपकरणों का समावेश:

डिजिटल कृषि: डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके किसानों को नई कृषि जानकारी, मौसम पूर्वानुमान और बाजार की जानकारी प्रदान की जा रही है। मशीनरी का उपयोग: कृषि में आधुनिक मशीनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है।

किसानों के सामाजिक एवं स्वास्थ्य कल्याण के लिए योजनाएँ:

स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएँ: ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में लगे किसानों के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा योजनाएँ बनाई जा रही हैं। सामाजिक कल्याण योजनाएँ: किसानों के सामाजिक एवं मानसिक कल्याण के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

कृषि मूल्य श्रृंखला एवं विपणन:

विपणन नीतियाँ: किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए कृषि मंडियों में सुधार एवं सुदृढ़ीकरण करना। खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन: कृषि उपज के मूल्य संवर्धन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना।

भूमि सुधार की चुनौतियाँ:

भूमि वितरण: भूमि सुधार योजनाओं के बावजूद कई राज्यों में भूमि वितरण की प्रक्रिया में बाधाएँ हैं, जिसके कारण लाभ ठीक से नहीं पहुँच पा रहा है। नागरिक अधिकार एवं भ्रष्टाचार: भूमि सुधारों को लागू करने में भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक बाधाएँ एक बड़ी चुनौती रही हैं।

कृषि नीतियों में सुधार की आवश्यकता:

नवोन्मेषी नीतियाँ: कृषि क्षेत्र में नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में सुधार की आवश्यकता है, ताकि खेती के तरीकों में नवाचार हो सके। किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और समाधान: नीति निर्माताओं में किसानों की वास्तविक समस्याओं और चुनौतियों की समझ का अभाव है, जिससे नीतियां अप्रभावी हो जाती हैं।

निष्कर्ष

सर छोटूराम की दूरदृष्टि आज भी भारत की कृषि नीतियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी नीतियाँ किसानों को सशक्त बनाने और शोषण से मुक्ति दिलाने पर केंद्रित थीं। वर्तमान चुनौतियों के बावजूद, यदि उनकी सोच को आधार बनाकर सुधार किए जाएँ, तो भारतीय कृषि क्षेत्र न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि समृद्ध भी होगा। भूमि सुधार और कृषि नीतियों का लक्ष्य सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता सुनिश्चित करना होना चाहिए।

© 2026 अमरजीत, डॉ. महेंद्र सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

संदर्भ सूची

1. डार्लिंग ML. खुशहाली और कर्ज़ में डूबा पंजाब का किसान. लंदन: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 1925. पृ. 89–112.
2. थॉर्बर्न SS. पंजाब में मुसलमान और साहूकार. लंदन: विलियम ब्लैकवुड एंड संस; 1886. पृ. 134–156.
3. बैरियर NG. पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी: पॉलिटिक्स और खेती के हित. मॉडर्न एशियन स्टडीज़. 1967;1(3):213–230. पृ. 220–228.
4. टैन ताई योंग. गैरिसन स्टेट: कॉलोनियल पंजाब में मिलिट्री, सरकार और समाज, 1849–1947. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स; 1999. पृ. 175–193.
5. जलाल ए. एकमात्र प्रवक्ता: जिन्ना, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग. कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस; 1985. पृ. 45–60.
6. कृष्ण एस. कृषि एवं भूमि सुधार: भारत में ऐतिहासिक परिवर्तन. दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस; 2021.
7. शर्मा ए. भारतीय कृषि: इतिहास और सुधार. जयपुर: कृषि पुस्तकालय; 2019.
8. सिंह आर. भारत में लेबर बिल्डिंग का विकास. लखनऊ: श्रमिक आयोग प्रकाशन; 2020.
9. पटेल जे. कृषि अधिनियम: उनके एवं प्रभाव. मुंबई: शंकर पब्लिशिंग हाउस; 2022.
10. किसान पोर्टल. भारत सरकार [इंटरनेट]. उपलब्ध: https://www.kisan.gov.in
11. छोटूराम की राजनीतिक गतिविधियाँ [इंटरनेट]. उपलब्ध: https://bharatdiscovery.org/india
12. ओहलान आर. हरियाणा में कृषि सुधार, विरोध और उपचुनाव. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक. 2021;56(21):21–23.
13. खान एम. हरियाणा. In: भारत के क्षेत्र और राज्य 2024 में. रूटलेज; 2024. पृ. 140–147.
14. अहमद आई. खुशहाली और कर्ज़ में डूबा पंजाब का किसान. नई दिल्ली: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2012. पृ. 145–162.
15. अली आई. साम्राज्यवाद के तहत पंजाब, 1885–1947. प्रिंसटन: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस; 1988. पृ. 210–225.
16. नंदा BR. गोखले: भारतीय नरमपंथी और ब्रिटिश राज. दिल्ली: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 1978. पृ. 302–310.
17. टैलबोट आई. पंजाब और राज, 1849–1947. नई दिल्ली: मनोहर पब्लिशर्स; 1991. पृ. 187–205.
18. सिंह एच. कॉलोनियल पंजाब में खेती की नीतियां और किसान आंदोलन. इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू. 2005;32(1):55–78. पृ. 60–72.
19. डार्लिंग ML. खुशहाली और कर्ज़ में डूबा पंजाब का किसान. लंदन: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 1925. पृ. 89–112.
20. थॉर्बर्न SS. पंजाब में मुसलमान और साहूकार. लंदन: विलियम ब्लैकवुड एंड संस; 1886. पृ. 134–156.
21. बैरियर NG. पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी: पॉलिटिक्स और खेती के हित. मॉडर्न एशियन स्टडीज़. 1967;1(3):213–230. पृ. 220–228.
22. टैन ताई योंग. गैरिसन स्टेट: कॉलोनियल पंजाब में मिलिट्री, सरकार और समाज, 1849–1947. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स; 1999. पृ. 175–193.
23. जलाल ए. एकमात्र प्रवक्ता: जिन्ना, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग. कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस; 1985. पृ. 45–60.
24. पंजाब में सर छोटूराम के सुधार. ऐतिहासिक साहित्य.
25. भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार. द इंडियन एक्सप्रेस. 2021.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Author

अमरजीत राजनीति शास्त्र विभाग, एन.आई.आई.एल.एम. विश्वविद्यालय, कैथल, हरियाणा के शोधार्थी हैं। उनका अध्ययन क्षेत्र भारतीय राजनीति, ग्रामीण समाज, सार्वजनिक नीति तथा समकालीन राजनीतिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। वे सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक संस्थाओं और नीति-निर्माण के प्रभावों पर शोध कार्य में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।

© 2026 अमरजीत, डॉ. महेंद्र सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/